फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

सिद्धार्थ बनाम रामकुमार आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 08 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
12.01.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दरस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दरस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01, वाद भूमि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 515/429 के कुल खसरे 32 का कुल क्षेत्रफल 5.5660 है0 व 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.7710 है0 में से आगामी तारीख पेशी तक अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 14/02/2023 को पेश हो । [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
14/2/23	वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] रजि. सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/04/23 को पेश हो। [signature]	
27/3/23	[illegible] पत्रावली पेशी [illegible] शामिल है। पत्रावली [illegible] वास्ते जवाब दिनांक 26/04/23 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
10-4.23	पत्रावली प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अगवानी प्रार्थना पत्र में सायल व गैरसायलान का राजीनामा हो चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी आगामी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अगवानी प्रार्थना पत्र को आज की तारीख पेशी में ली जाकर खारिज फरमावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थना पत्र जवाब में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 26/4/23 मुकर्रर है। प्रार्थी/सायल व अप्रार्थी/गैरसायलान का राजीनामा होने के कारण न्यायहित में सायल प्रार्थना पत्र जरिये [illegible]) की संक्षिप्त सुनवाई प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अगुवानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	पत्रावली प्राप्त 10/4/2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner